



घर से निकाले जाने से सुरक्षा का घोषणापत्र

सेंटर्स फ़ॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने एक आदेश जारी किया है जिससे आप अपने घर से निकाले जाने या रहने की जगह से बेदखल किए जाने की कार्रवाई से बच सकते हैं। **इसका मतलब है कि अगर आप इसके लिए पात्र हैं, तो आप अभी जहाँ रह रहे हैं, वहीं पर 30 जून 2021 तक रह सकते हैं।**

इस फ़ॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें

- पता करें कि क्या आप सीडीसी के आदेश के तहत घर से निकाले जाने से सुरक्षा पाने के लिए पात्र हैं। अगर आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की ज़रूरत हो, तो (800) 569-4287 पर कॉल करें या फिर <https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental- eviction/> पर जाएँ और अपने स्थानीय HUD-स्वीकृत हाउसिंग सलाहकार के बारे में जानकारी पाएँ।
- अगले पेज पर घोषणापत्र पर यह दर्शाने के लिए हस्ताक्षर करें कि आप इसके लिए पात्र हैं।
- हस्ताक्षर किए हुए घोषणापत्र को उस व्यक्ति या कंपनी को सौंप दें जिनसे आपने घर किराए पर लिया हुआ है (उदाहरण के लिए, बिल्डिंग मैनेजमेंट, मकान मालिक आदि)। अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी या फ़ोटो रख लें और अंगर कोई समस्या आती है तो अपने विशेषज्ञ को दोबारा कॉल करें।

1. क्या मैं इसके लिए पात्र हूँ?

अगर आप नीचे दिए बॉक्स में से एक पर भी निशान लगाते हैं, तो आप पात्र हैं।

कॉलम A

और

कॉलम B

मुझे वर्ष 2020 या 2021 में प्रोत्साहन (स्टिमुलस) का चेक (आर्थिक प्रभाव भुगतान) मिला था

मुझे 2020 में अपनी आय आईआरएस (IRS) को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी

सन 2020 या 2021 में मेरी आय एक अकेले व्यक्ति के तौर पर \$99,000 से कम या संयुक्त रूप से फ़ाइल करते समय \$1,98,000 से कम है (या होने की संभावना है)

अगर आपको नीचे दिए में से कोई भी लाभ मिलते हैं तो आपकी आय इस राशि से कम होने की संभावना अधिक है:

- सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP)
- टेम्पररी असिस्टेंस फ़ॉर नीडी फ़ैमिलीज़ (TANF)
- सप्लीमेंटल सिव्योरिटी इनकम (SSI)
- सप्लीमेंटल सिव्योरिटी डिसएबिलिटी बीमा (SSDI)

मैं अपना पूरा किराया नहीं दे सकता/ सकती या घर के लिए पूरा भुगतान नहीं कर सकता/ सकती क्योंकि:

- मेरे परिवार की कुल आय बहुत कम हो गई है
- मुझे काम पर से निकाल दिया गया है
- मेरे काम का समय या वेतन कम कर दिया गया है
- मुझे बहुत अधिक मेडिकल खर्च खुद की जेब से वहन कर करने हैं।

इनमें से कोई नहीं – आप पात्र नहीं हैं

इनमें से कोई नहीं – आप पात्र नहीं हैं

**क्या आपने हर कॉलम में से कम-से-कम एक बॉक्स में निशान लगाया है?
तब तो आप की आय का स्तर इसके लिए पात्र है।**

[अगले पेज पर पहले बॉक्स में निशान लगाएँ]

2. मेरे पात्र होने का मेरी ओर से घोषणापत्र

नीचे दिए हुए बॉक्स पर निशान लगाकर, मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि वह कथन सत्य है।

ऊपर बताया हुए कारणों से मेरी आय का स्तर इसके लिए पात्र है।

मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि समय पर आंशिक भुगतान करूँ जो कि पूर्ण भुगतान के जितना हो सके बराबर हों और यह भी कि मेरे घर के किराए या घर के लिए किए जाने वाले भुगतान के लिए मुझे सरकार की ओर से मदद मिले।²

अगर मुझे घर से निकाल दिया गया, तो मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं है और इसीलिए मुझे:

- बेघर होना पड़ेगा **या**
- मुझे बेघरों के लिए बने हुए रैनबसेरे में शरण लेनी पड़ेगी, **या**
- आस-पास रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उनके घर में भीड़-भाड़ में रहना होगा।

मुझे पता है कि मेरे हस्ताक्षर करने के बाद:

- अगर मेरे मकान मालिक के साथ मेरा कोई समझौता नहीं हुआ हो, तो अपने मकान की लीज़ से संबंधित किराए, पुराने बकाया किराए और फीस, दंड या ब्याज की ज़िम्मेदारी अभी भी मेरी ही रहेगी।
- मुझे अब भी अपनी लीज़ के नियमों का पालन करते रहना होगा।
- अगर मेरे मकान मालिक के साथ मेरा कोई समझौता नहीं हुआ हो, तो अगर मेरी ओर से किसी भुगतान में कोई चूक होती है, तो घर से निकाले जाने पर लगी हुई इस अस्थायी रोक की अवधि खत्म होने पर मुझे घर से निकाला जा सकेगा।
- किराए का भुगतान नहीं करने या घर के लिए किया जाने वाला भुगतान नहीं करने के अलावा किसी अन्य कारण से मुझे अब भी घर से निकाला जा सकता है।

मैं झूठी शपथ लेने पर मिलने वाले दंड को समझते हुए इस घोषणापत्र³ पर हस्ताक्षर कर रहा / रही हूँ। इसका मतलब है कि यह मेरा वादा है कि ऊपर दिए गए सभी कथन सत्य हैं और मुझे पता है कि झूठ बोलने पर मुझपर आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है।

यहाँ हस्ताक्षर करें:

X _____

तारीख: _____

किराएदारों की मदद के लिए टूल्स

किराए के लिए आपातकालीन आर्थिक मदद पाएँ

अपने स्थानीय, HUD-स्वीकृत हाउसिंग सलाहकार को खोजने के लिए (800) 569-4287 पर कॉल करें।

कर्ज वसूली से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट करें

CFPB को शिकायत करें
cfpb.gov/complaint

भेदभाव की रिपोर्ट करें

शिकायत दर्ज करें. HUD को (800) 669-9777 पर कॉल करें

3. इस हस्ताक्षर किए हुए पेज को अपने मकान मालिक व्यक्ति या कंपनी को दें।

मकान मालिक ध्यान दें: आपके अनुपालन के लिए धन्यवाद। अगर आप सीडीसी के इविकशन संरक्षण ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं, तो आप और/ या आपके व्यवसाय के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें आर्थिक दंड और जेल की सज़ा शामिल हैं।

²आपके लिए किस तरह की मदद उपलब्ध है इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्थानीय विशेषज्ञ को कॉल करना। अपने स्थानीय, HUD-स्वीकृत हाउसिंग सलाहकार को खोजने के लिए (800) 569-4287 पर कॉल करें।

³यदि आप पहले ही निष्कासन स्थगन घोषणा पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो आपको एक और जमा करने की आवश्यकता नहीं है।